



आवश्यक दवाओं की कीमत में वृद्धि

प्रीलिमिंस के लिये

राष्ट्रीय औषधि मूल्य नरिधारण प्राधिकरण, एपीआई क्या है?

मेन्स के लिये

दवाओं की कीमतों में वृद्धि का स्वास्थ्य योजनाओं पर प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [राष्ट्रीय औषधि मूल्य नरिधारण प्राधिकरण](#) (National Pharmaceuticals Pricing Authority-NPPA) द्वारा 12 आवश्यक दवाओं (Essential Medicines) की कीमतों में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

मुख्य बद्दि:

- NPPA द्वारा पहली बार दवाओं की कीमतों में वृद्धि की गई है, जबकि यह दवाओं की कीमतों में नयित्रण के लिये जानी जाती है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) के अनुसार, आवश्यक दवा उन दवाओं को कहा जाता है जो लोगों की प्राथमिक स्वास्थ्य आवश्यकतों की पूर्ति करती हैं तथा लोगों के स्वास्थ्य के लिये इन दवाओं का पर्याप्त मात्रा में मौजूद होना आवश्यक है।
- ये दवाएँ पहली पंक्तिके उपचार (First Line of Treatment) के तौर पर प्रयोग की जाती हैं तथा देश के स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिये अतमिहत्त्वपूर्ण हैं।
- कीमतों में वृद्धि का यह नरिणय टी.बी. (Tuberculosis) के इलाज के लिये बी.सी.जी. वैक्सीन, वटामिन C, एंटीबायोटिक दवा मेट्रोनिडाज़ोल (Metronidazole) तथा बेंजाइलपेनसिलिनि (Benzylpenicillin), मलेरिया के उपचार की दवा क्लोरोक्वीन (Chloroquine) और लेप्रोसी की दवा डेस्पोन (Dapsone) आदि पर लागू होगा।

मूल्य वृद्धि का कारण:

- इन दवाओं की सही कीमत न मलि पाने की वजह से नरिमाता कंपनयिों ने इनका उत्पादन करने से मना कर दिया था।
- NPPA के अनुसार, ड्रग्स मूल्य नयित्रण आदेश (Drug Price Control Order-DPCO) के पैरा-19 के तहत पछिले दो वर्षों से कंपनयिों की तरफ से दवाओं के मूल्य में वृद्धि हेतु प्रार्थना-पत्र भेजे जा रहे थे।
- इन दवाओं की नरिमाता कंपनयिों का कहना है कि दवा बाज़ार में एपीआई (Active Pharmaceutical Ingredient-API) की बढ़ती कीमतों, लागत मूल्य तथा वनिमिय दर (exchange rates) में वृद्धि की वजह से इनके उत्पादन को जारी रखना नामुमकनि था।

भारतीय दवा कंपनयिों दवाओं के नरिमाण के लिये आवश्यक 60 प्रतिशत API के लिये चीन पर नरिभर हैं।

- NPPA ने इस मामले की पूरी जाँच के लिये एक समतिकि गठन कयिा जसिने इन दवाओं की आवश्यकता, प्रार्थी कंपनयिों का मार्केट शेयर तथा इन दवाओं के अन्य वकिल्लों का अध्ययन कयिा।
- समतिकि रपिोर्ट को पुनर्रवीक्षण हेतु नीति आयोग की वहनीय दवाओं तथा स्वास्थ्य उत्पादों पर स्थायी समतिकि (Standing Committee on Affordable Medicines and Health Products-SCAMHP) को सौंपा गया। जसिने 12 दवाओं की कीमतों में 50 प्रतिशत की वृद्धि का सुझाव दिया।
- NPPA के अनुसार, इन आवश्यक दवाओं की वहनीयता (Affordability) सुनश्चिति करने के लिये इनकी उपलब्धता (Access) से समझौता नहीं

किया जा सकता तथा लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इनकी कीमतों में वृद्धि करना जरूरी है।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA):

यह एक स्वायत्त निकाय है तथा देश के लिये स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक दवाओं (National List of Essential Medicines-NLEM) एवं उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करता है।

NPPA के कार्य:

- वनियंत्रित थोक औषधियों व फॉर्मूलों का मूल्य निर्धारित व संशोधित करना।
- निर्धारित देश-निर्देशों के अनुरूप औषधियों के समावेशन व बहिर्वेशन के माध्यम से समय-समय पर मूल्य नियंत्रण सूची को अद्यतन करना।
- दवा कंपनियों के उत्पादन, आयात-निर्यात और बाजार हस्तिदारी से जुड़े डेटा का रखरखाव।
- दवाओं के मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दों पर संसद को सूचनाएँ प्रेषित करने के साथ-साथ दवाओं की उपलब्धता का अनुपालन व नगिरानी करना।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/hike-in-prices-of-essential-medicines>